

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड,
87-राजपुर रोड, देहरादून

पत्रांक: नि० 229 / 2-36 (एस०सी०एस०पी०)

दिनांक, देहरादून, 23 जुलाई, 2019

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

विषय:

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वन विभाग की अनुदान सं०-30 की राज्य सैक्टर योजना "2406-01-101-02-00-बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का अनुरक्षण" के मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य एवं 29-अनुरक्षण के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रभागवार/कार्य मदवार भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन।

संदर्भ :-
महोदय,

वित्त नियंत्रक/इस कार्यालय का पत्रांक नि० 206/2-36 (एस०सी०एस०पी०) दिनांक 20.07.2019।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वन विभाग के अनुदान सं०-30 की राज्य सैक्टर योजना "2406-01-101-02-00-बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का अनुरक्षण" हेतु स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष वर्तमान में शासन से मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य व 29-अनुरक्षण में अवमुक्त धनराशि को विभिन्न प्रभागों को आवंटित किया गया है। मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य एवं 29-अनुरक्षण के अन्तर्गत आवंटित धनराशि को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के अनुमोदन से प्रभाग/मानक मद/कार्यमदवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन संलग्न विवरणानुसार प्रेषित किया जाता है।

उक्त आवंटित लक्ष्यों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश निम्नानुसार है जिनका अक्षरशः पालन किया जाये :-

1. अवमुक्त धनराशि का उपयोग संलग्न आवंटित लक्ष्यों/कार्यों की प्राप्ति हेतु ही किया जाये। योजनान्तर्गत आवंटित/अवमुक्त की गयी धनराशि की सीमा तक ही कार्य कराये जाने होंगे। अतिरिक्त धनराशि प्राप्ति की प्रत्याशा में कोई कार्य न कराये जायें।
2. आवंटित लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने से पूर्व सम्बन्धित कार्य स्थल का फोटोग्राफ, कार्य प्रगति के दौरान व तत्पश्चात कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त के फोटोग्राफ तथा कार्य स्थल के जी०पी०एस० "रीडिंग" आदि प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी अपने पास सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराये जा सकें। इसके अतिरिक्त कार्य का Outcome भी पहले ही निर्धारित कर लिया जाये।
3. कार्यों के सम्पादन में समय-समय पर जारी समस्त शासनादेशों/वित्तीय नियमों/"प्रॉक्योरमेंट नियमावली, 2017" का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध शासनादेशों के अनुसार मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य के अन्तर्गत ₹5.00 लाख या उससे कम लागत के कार्यों को लिया जाना है। कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
5. आवंटित लक्ष्यों/कार्यों के सापेक्ष कार्य स्थल का चयन कर निम्न निर्धारित प्रपत्र में सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें :-

प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	कार्य स्थल का नाम	जी०पी०एस० लोकेशन	इकाई	आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्राप्त भौतिक लक्ष्य	कार्य की लागत (₹हजार में)

6. योजनाओं सम्बन्धी सभी मासिक प्रगति रिपोर्टों में आवंटित लक्ष्यों के अनुसार ही लक्ष्य दर्शाये जाय और उसी के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा की जाये।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,



(डॉ० धनंजय मोहन)

प्रमुख वन संरक्षक,

नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

संख्या: नि० 229 (1)/2-36 (एस०सी०एस०पी०) तददिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), उत्तराखण्ड तथा सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड।
2. समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक/निदेशक, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

संलग्नक- यथोपरि।



(डॉ० धनंजय मोहन)

प्रमुख वन संरक्षक,

नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वन विभाग के अनुदान सं०-30 (अनु०जाति उपयोजना) की राज्य सैक्टर योजना "2406-01-101-02-00-बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण" के मानक मद 25-लघु निर्माण एवं 29-अनुरक्षण के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष लक्ष्यों का आवंटन।

(धनराशि- ₹ हजार में)

क्र०	प्रभाग का नाम	25-लघु निर्माण			29-अनुरक्षण(वृक्षारोपण अनुरक्षण)		
		कार्य विवरण	भौतिक (सं०)	वित्तीय	कार्य विवरण	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भूस.नैनीताल वन प्रभाग	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	75	1500	वनीकरण अनुरक्षण -है०	30	316
2	भूस.रानीखेत वन प्रभाग	अभियांत्रिक कार्य	82	1475	वनीकरण अनुरक्षण -है०	52	516
3	भूस.रामनगर वन प्रभाग	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	90	1350		0	0
4	पिथौरागढ़ वन प्रभाग	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	30	600			0
5	भूस. लेन्सडाउन वन प्रभाग	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	120	1440	वनीकरण अनुरक्षण -है०	20	185
6	चकराता वन प्रभाग	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	25	300	वनीकरण अनुरक्षण -है०	10	98
7	भूस.कालसी वन प्रभाग	चैकडैम निर्माण	45	900	वनीकरण अनुरक्षण -है०	20	236
		चरी निर्माण	6	180		0	0
		योग:-		1080	योग:-	20	236
8	टिहरी वन प्रभाग	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य-सं०	45	1125	वनीकरण अनुरक्षण -है०	24	259
9	टिहरी डेम-1 वन प्रभाग	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	50	1250	वनीकरण अनुरक्षण -है०	10	100
10	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	40	1400	वनीकरण अनुरक्षण -है०	20	216
11	सि.सो. वन प्रभाग पौड़ी	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	10	500	वनीकरण अनुरक्षण -है०	10	82
12	हरिद्वार वन प्रभाग	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	6	480		0	0
13	भूस. वन प्रभाग उत्तरकाशी	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	40	1200	वनीकरण अनुरक्षण -है०	18	209
14	प्र.व. टिहरी डेम-11	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	50	1300	वनीकरण अनुरक्षण -है०	35	390
	कुल योग		0	15000			2607



(डॉ० धनंजय मोहन)

प्रमुख वन संरक्षक,

नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

